

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान हाजरा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 293/2025

निर्णय दिनांक 28/08/2025

हाजरा पत्नी शोक्त जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भांगेरा पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 81 के खसरा सं. 61 तादादी 14.5923 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का वास्तविक नाम हाजरा के स्थान पर उनके सामान्य बोलचाल का नाम हाजराबानो दर्ज हो गया व उसी आधार पर उक्त रोही भांगेरा तहसील तारानगर की जमाबंदी में प्रार्थीया का सही नाम हाजरा दर्ज होना चाहिए था। उक्त खातेदारी के अलावा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थीया का सही नाम हाजरा है। प्रार्थीया का नाम उक्त खसराजात की जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे प्रार्थीया को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थीया का नाम हाजरा अंकित है। इसलिये प्रार्थीया उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थीया का नाम हाजरा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीया का नाम हाजराबानो व हाजरा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थीया का नाम हाजरा पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम हाजराबानो अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीया को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भांगेरा पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 81 के खसरा सं. 61 तादादी 14.5923 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हाजराबानो Delete कर इसके स्थान पर हाजरा अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)